न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/10/2024	2024/36	18.06.2024	27.08.2024

1.चेतराम पुत्र स्व0 पांचा,
2.जगदीश पुत्र स्व0 पांचा,
3.फूलन देवी पुत्री स्व0 पांचा, जातियान गुर्जर निवासीयान कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।
2.जगराम पुत्र मोहनलाल, जाति जाट, निवासी कलसाडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल सं. 637 आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर दिनांक 26.04.2024 जिसके द्वारा आंराजी खाता सं. 38 खसरा नम्बरान 16 रकबा 0.41 है0, 17. रकबा 0.35 है0, 18 रकबा 0.91 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 है० वाके ग्राम नंगली झामावत तह० मालाखेडा जिला अलवर की बाबत खातेदार पोंचाराम पुत्र मूला की मृत्यु होने पर खोले गये विरासत इंतकाल सं. 637 दिनांक 08.04.2024 को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज फरमा दिया गया। बमुराद मंसुख फरमाये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलार्थीगण व दीगर दादरसी।

उपस्थितः—

01.श्री राम लखन सिंह बैसला —वकील अपीलाण्ट्स
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेंट संख्या 1
03.श्री जितेन्द्र सिंह —वकील रेस्पोडेंट संख्या 2

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर इंतकाल सं. 637 दिनांक 26.04.2024 वाके ग्राम नंगली झामावत, तहसील मालाखेडा से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आराजी खाता सं. 38 खसरा नम्बरान 16 रकबा 0.41 है0, 17 रकबा 0.35 है0, 18 रकबा 0.91 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 है० वाके ग्राम नंगली झामावत तह० मालाखेडा जिला अलवर में स्थित हैं। उक्त आराजीयात में मिन अपीलार्थीगण के पिता पॉचाराम का 1/2 सालिम हिस्सा कब्जे काश्त खातेदार का हैं तथा उक्त आराजी की बाबत हाल राजस्व रिकोर्ड में अपीलार्थीगण के पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पांचाराम के नाम 1/2 सालिम हिस्सा अमल दरामद चला आ रहा हैं। अपीलार्थीगण के पिता पोंचाराम का स्वर्गवास दिनांक 07/11/23 को हो चुका हैं। अपीलार्थीगण, मृतक पांचाराम के विधिक वारिस व कायम मुकाम हैं। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अपने पिता पांचाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष अपने पिता पॉचाराम का स्वर्गवास होने पर उक्त वर्णित की बाबत मृतक पोंचाराम का विरासत इंतकाल खोले जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा मृतक पॉचाराम के वारिसान की बाबत पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मृतक पॉचाराम के वारिसान की जॉच करते हुए मय घटना बही के अपनी रिपोर्ट तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष प्रस्तुत की गई। लेकिन बावजूद इसके तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से मृतक पॉचाराम का विरासत इंतकाल सं. 637 को विवादित इंतकाल में यह दर्ज करते हुए कि घटना बही साथ में संलग्न नहीं होने के कारण नामान्तरण खारिज किया गया है, को अपने आदेश दिनांक 26.04.2024 के विधि विरूद्ध तरीके से खारिज फरमा दिया गया।

विवादित आदेश दिनांक 26.04.2024 का हैं। जिस विवादित आदेश की जानकारी मिन अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी तथा अपीलार्थीगण इस मुगालदे में रहे कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पिता पॉचाराम का विरासत इंतकाल अपीलार्थीगण के नाम खोला जाकर हाल राजस्व रिकोर्ड में अपीलार्थीगण के नाम का अमल दरामद कर दिया जावेगा। अब दिनांक 05.06.2024 को अपीलार्थीगण द्वारा हाल राजस्व रिकोर्ड की नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 06.06.2024 को नकल प्राप्त हुई। जिस पर अपीलार्थीगण को तहत न्यायालय द्वारा खारिज किये गये विरासत इंतकाल का इल्म हुआ। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी सलाह प्राप्त की गई। जिस पर अधिवक्ता महोदय द्वारा तहत न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील करने हेतु सलाह दी गई। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा बिना देरी यह अपील अंदर मियाद पेश की गई हैं लेकिन फिर भी जो समय दिनांक 26.04.2024 से जानकारी के अभाव में, नकल लेने, कानूनी सलाह प्राप्त करने में आज दिन तक का व्यतित हुआ है वह काबिले कंडोन हैं जिस हेतु पृथक से आवेदन पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश हैं। मृतक पॉचाराम के अपीलार्थीगण विधिक वारिस व कायम मुकाम हैं तथा अपीलार्थीगण अपने पिता मृतक पॉचाराम की मृत्यु पश्चात स्वयं को विरासत में प्राप्त आराजी खाता सं. 38 खसरा नम्बरान 16 रकबा 0.41 है0, 17 रकबा 0.35 है0, 18 रकबा 0.91 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 है० वाके ग्राम नंगली झामावत पर स्वयं को प्राप्त सालिम हिस्से रकबे पर काविज दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। मृतक पॉचाराम के वारिसान के संबंध में पटवारी हल्का कलसाडा द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिससे यह बखूबी साबित व प्रमाणित था कि अपीलार्थीगण, मृतक पोंचाराम के विधिक वारिस व कायम मुकाम हैं जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पिता पांचाराम का विरासत इंतकाल यह कहते हुए खारिज किया गया कि घटना बही साथ में संग्लन नहीं हैं जबकि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ घटना बही कमांक 11 दिनांक 26.03.2024 पर दर्ज कर पेश की गई थी। जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मौके कब्जे की जाँच नहीं की गई। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व हम अपीलार्थीगण को सम्यक रूप से तलब नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण के विवादित आराजीयात पर कब्जे की रिपोर्ट पंच, सरपंच, पटवारी हल्का से तलब नहीं की गई है। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा मृतक पॉचाराम के वारिसान की जाँच नहीं की गई। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक, न्यायिक सिद्धांतो के विपरित पारित किया गया हैं जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुना नहीं गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। अन्य तर्क वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जायेंगे।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा का विवादित आदेश दिनांक 26.04.2024 खारिज फरमाते हुए आराजी खाता सं. 38 खसरा नम्बरान 16 रकबा 0.41 है0, 17 रकबा 0.35 है0, 18 रकबा 0.91 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 है० वाके ग्राम नंगली झामावत तह० मालाखेडा जिला अलवर में अपीलार्थीगण के पिता पॉचाराम के 1/2 हिस्से की बाबत अपीलार्थीगण के पिता पॉचाराम की मृत्यु होने पर अपीलार्थीगण, मृतक पॉचाराम के विधिक वारिस व कायम मुकाम होने के कारण अपीलार्थीगण के नाम विरासत इंतकाल खोले जाने का अहकाम तहसीलदार मालाखेडा को जारी करें। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा अंकन कराया गया कि नामांतरण विरासत का था जो पहले स्वीकार करके बाद में खारिज कर दिया। तहसीलदार द्वारा घटनावही के अभाव में नामांतरण अस्वीकार कर दिया गया जो गलत है। अतः तहसीलदार द्वारा जारी आदेश को खारिज फरमाया जावे। बहस पूर्ण।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। समस्त दस्तावेजात एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं का मिलान किया गया। यह तथ्य पाया गया कि घटना वही के अभाव में नामांतरण को खारिज किया गया है जो उचित नहीं है। अपील में विरासत के तथ्य निहित हैं। जिनका निर्धारण किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। अपील विधिक होने से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा स्वीकृत/पारित इंतकाल संख्या 637 निर्णय दिनांक 26.04.2024 वाके ग्राम नंगली झामावत तहसील मालाखेडा को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को पत्रावली इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि कार्यालय में प्रकरण दर्ज करें एवं वारिसों की सम्पूर्ण जांच कर, प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 30 दिवस में विस्तृत निर्णय पारित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)